राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12695/2017

अपीलार्थी **बनाम** **प्रत्यर्थी**

कांतीलाल उपाध्याय
ब्रह्मपुरी मौहल्ला, सांसपुर, आबू रोड,
Sirohi,Rajasthan

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जे.9,
झालाना संस्थानिक क्षैत्र Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मोहन सिंह रतनू, उप अधीक्षक पुलिस, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 15-3-17 के द्वारा कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 376/14 की पूरक जांच एवं एफआईआर संख्या 05/2017 में जो पूरक जांच तैयार की गई थी के सम्बन्ध में 2 बिन्दओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 14-6-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के क्रम में पत्र दिनांक 22-5-17 से संसूचित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना से अनुसंधान पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, अतः चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रकटन से छूट की श्रेणी में आती है। यह भी निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के विनिश्चय को उचित मानते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांक 14-6-17 से प्रथम अपील खारिज कर दी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 8-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है। अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त